HARYANA GOVERNMENT

RENEWABLE ENERGY DEPARTMENT

ORDER

The 3rd September, 2014

No. 22/52/2005-5Power.—In exercise of the powers conferred by Section 18 of the Energy Conservation Act, 2001(Central Act 52 of 2001), the Governor of Haryana hereby issues the following directions for efficient use of energy and its conservation in the State of Haryana:

The installation of Solar Photovoltaic Power Plant for the category of buildings/areas mentioned in column 2 as per the capacity mentioned against it under column 3 of the schedule below shall be mandatory:

SCHEDULE

Sr. No.	Category of building/area	Capacity of Solar Photovoltaic Power plant to be installed
1	2	3
1	All residential buildings built on a plot size of 500 Square Yards and above falling within the limits of Municipal Corporations, Municipal Councils, Municipal Committees, Haryana Urban Development Authority (HUDA),Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation (HSIIDC) sectors	Minimum 1 Kilo Watt peak (KWp) Or 5% of connected load, whichever is higher
2	All private Educational Institutes, Schools, Colleges, Hostels, Technical/Vocational Education Institutes, Universities etc. having connected load of 30 Kilo Watt (KW) and above	Minimum 5 Kilo Watt peak (KWp) Or 5% of connected load, whichever is higher
3	All Government Buildings and Offices, Government Colleges, District Institute of Education and Training (DIET), Government Educational Institutions, Universities, having connected load of 30 Kilo Watt (KW) and above	Minimum 2 Kilo Watt peak (KWp) Or 5% of connected load, whichever is higher
4	All private Hospitals and Nursing Homes, Industrial Establishments, Commercial Establishments, Malls, Hotels, Motels, Banquet Halls and Tourism Complexes, having connected load (i) of 50 Kilo Watt (KW) to 1000 Kilo Watt (KW); (ii) above 1000 Kilo Watt (KW)	(i) Minimum 10 Kilo Watt peak (KWp) or 5% of connected load, whichever is higher; (ii) Minimum 50 Kilo Watt peak (KWp) or 3% of connected load, whichever is higher
5	All new Housing Complexes, developed by Group Housing Societies, Builders, Housing Boards, on a plot size of : (i) 0.5 Acre to 1.0 Acre; (ii) More than 1.0 Acre to 2.0 Acres; (iii) More than 2.0 Acres to 5.0 Acres; (iv) More than 5.0 Acres.	(i) Minimum 10 Kilo Watt peak (KWp) (ii) Minimum 20 Kilo Watt peak (KWp) (iii) Minimum 30 Kilo Watt peak (KWp) (iv) Minimum 40 Kilo Watt peak (KWp)
6	All water lifting stations of Irrigation Department having connected load of 100 Kilo Watt (KW) and above	Minimum 50 Kilo Watt peak (KWp) Or 3% of connected load, whichever is higher

(i) All the line Departments like Town and Country Planning, Urban Local Bodies, Public Works Department (Buildings and Roads) Housing, Public Health, Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation (HSIIDC), Industries, Education, Social Welfare, Red Cross, Architecture, Housing Board, Haryana State Agricultural Marketing Board (HSAMB), Irrigation, Forest etc. shall implement the mandatory provisions of installation of Solar Photovoltaic Power Generation Plant and incorporate a relevant provision in this regard in their rules, within a period of two months from the date of issuance of this order to make use of Solar Photovoltaic Power Plants compulsory.

(ii) The Renewable Energy Department being a State Designated Agency for implementing Energy Conservation Act in the State shall provide all necessary technical support to the Government Departments/Organizations in preparation of project proposal, cost estimates, installation of Solar Power Plants and in obtaining the Central Financial Assistance (CFA) from Ministry of New and Renewable Energy (MNRE), Government of India (GOI), if available, from the Ministry of New and Renewable Energy, Government of India, from time to time.

(iii) The completion certificate in this regard shall be issued only after getting the No Objection Certificate (NOC) from Renewable Energy Department.

(iv) The concerned departments shall designate a District and State level Nodal Officer to monitor and to report the progress of enforcement of the said decision of the State Government, to the Renewable Energy Department, Haryana, on quarterly basis in the formats to be issued by Renewable Energy Department through the office of respective Additional Deputy Commissioner-cum-Chief Project Officer.

(v) The above said organizations/user categories shall ensure the compliance of above mentioned mandatory provisions, within one year from the date of issue of the notification, at their own cost, failing which, the penal action may be initiated under the Energy Conservation Act, 2001 (Central Act 52 of 2001).

(vi) The systems installed shall strictly comply with the technical specifications prescribed by Ministry of New and Renewable Energy, Government of India/ Renewable Energy Department, Haryana/ Haryana Renewable Energy Development Agency (HAREDA).

(vii) The user categories of private sector may install the Solar Photovoltaic Power Plants either through the Channel Partners of Ministry of New and Renewable Energy or through Renewable Energy Department, Haryana/ Haryana Renewable Energy Development Agency (HAREDA) and for government departments/organizations, Renewable Energy Department, Haryana is the approved source, being State Designated Agency.

(viii) Detailed guidelines regarding procedure and applicable processing fee shall be issued separately.

S. N. ROY,
Principal Secretary to Government Haryana,
Renewable Energy Department.

52624—C.S.—H.G.P., Chd.

हरियाणा सरकार

अक्षय ऊर्जा विभाग

आदेश

दिनांक 3 सितम्बर, 2014

संख्या 22/52/2005/5विद्युत.–ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का केन्द्रीय अधिनियम 52), की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा राज्य में ऊर्जा के सफल उपयोग तथा इसके संरक्षण हेतु निम्नलिखित निर्देश जारी करते हैं, अर्थात :–

नीचे अनुसूची के खाना 3 में वर्णित क्षमता के अनुसार खाना 2 में वर्णित भवनों/क्षेत्रों के प्रवर्ग के लिए सोलर फोटोवोलटाइक विद्युत संयंत्र की स्थापना आज्ञापक होगी, अर्थात,:-

अनुसूची

क्रम संख्या	भवन /क्षेत्र के प्रवर्ग	स्थापित किये जाने वाले सौर फोटोवोलटाइक विद्युत संयंत्र की क्षमता
1	2	3
1.	नगरनिगमों, नगर परिषदों, नगरपालिकाओं, हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण तथा हरियाणा राज्य औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम के सेक्टरों की सीमा के भीतर आने वाले 500 वर्ग गज तथा इससे अधिक आकार के भूखंड पर निर्मित सभी आवासीय भवन	कम से कम 1 किलोवाट अथवा सम्बद्ध भार का 5 प्रतिशत, जो भी अधिक हो
2.	30 किलोवाट या अधिक सम्बद्ध भार वाले सभी निजी विद्यालयों शैक्षणिक संस्थाओं, महाविद्यालयों, छात्रावासों, तकनीकी, व्यवसायिक शिक्षा संस्थानों, विश्वविद्यालयों इत्यादि	कम से कम 5 किलोवाट अथवा सम्बद्ध भार का 5 प्रतिशत, जो भी अधिक हो
3.	30 किलोवाट या अधिक सम्बद्ध भार वाले सभी सरकारी भवनों और कार्यालयों, सरकारी महाविद्यालयों, जिला शिक्षा तथा प्रशिक्षण संस्थान, सरकारी शैक्षणिक संस्थानों, विश्वविद्यालयों	कम से कम 2 किलोवाट अथवा सम्बद्ध भार का 5 प्रतिशत, जो भी अधिक हो
4.	ऐसे सभी निजी अस्पतालों तथा नर्सिंग होम, औद्योगिक प्रतिष्ठानों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, मालों होटलों, मोटलों, समारोह हालों तथा पर्यटन काम्पलैक्सों जिनका सम्बद्ध भार (i) 50 किलोवाट से 1000 किलोवाट हो (ii) 1000 किलोवाट से अधिक हो	(i) कम से कम 10 किलोवाट अथवा सम्बद्ध भार का 5 प्रतिशत, जो भी अधिक हो (ii) कम से कम 50 किलोवाट अथवा सम्बद्ध भार का 3 प्रतिशत, जो भी अधिक हो

5.	समूह आवासीय समितियों, बिल्डरों, आवासन बोर्ड द्वारा निम्नलिखित आकार के भूखंड पर विकसित सभी नए आवासीय परिसर : (i) 0.5 एकड़ से 1 एकड़ (ii) एक एकड़ से अधिक और दो एकड़ तक (iii) दो एकड़ से अधिक और पांच एकड़ तक (iv) पांच एकड़ से अधिक	(i) कम से कम 10 किलोवाट (ii) कम से कम 20 किलोवाट (iii) कम से कम 30 किलोवाट (iv) कम से कम 40 किलोवाट
6.	100 किलोवाट और अधिक सम्बद्ध भार वाले सिंचाई विभाग के सभी वाटर लिफ्टिंग स्टेशन	कम से कम 50 किलोवाट अथवा सम्बद्ध भार का 3 प्रतिशत, जो भी अधिक हो

(i) सभी संबंधित विभाग जैसे नगर तथा ग्राम आयोजना, शहरी स्थानीय निकाय, लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़कें), आवास, जन स्वास्थ्य, हरियाणा राज्य औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम, उद्योग, शिक्षा, समाज कल्याण, रैड क्रोस, वास्तुकला, आवासन बोर्ड, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, सिंचाई, वन इत्यादि सौर फोटोवोलटाइक विद्युत उत्पादन संयंत्रों की स्थापना के आज्ञापक प्रावधानों को कियान्वित करेंगे तथा सौर फोटोवोलटाइक विद्युत संयंत्रों का अनिवार्य उपयोग करने हेतु आदेश जारी होने की तिथि से दो मास के भीतर अपने नियमों में इस संबंध में सुसंगत प्रावधान सम्मिलित करेंगे।

(ii) अक्षय ऊर्जा विभाग, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कियान्वित करने के लिए राज्य नामित अभिकरण के रूप में सरकारी विभागों/संगठनों को सौर विद्युत संयंत्र स्थापित करने में परियोजना प्रस्ताव, मूल्य अनुमान तैयार करने में, तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार से समय-समय पर प्राप्त होने वाले केन्द्रीय वित्तीय सहायता (यदि उपलब्ध हो) को प्राप्त करने के लिए आवश्यक तकनीकी सहयोग प्रदान करेगा ।

(iii) इस संबंध में पूर्णतः प्रमाणपत्र केवल अक्षय ऊर्जा विभाग, हरियाणा से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन.ओ.सी.) प्राप्त करने के उपरांत ही जारी किया जायेगा ।

(iv) सम्बंधित विभाग राज्य सरकार के उक्त निर्णय को लागू करने की निगरानी तथा प्रगति रिपोर्ट अक्षय ऊर्जा विभाग, हरियाणा को त्रैमासिक आधार पर अक्षय ऊर्जा विभाग द्वारा जारी किये जाने वाले प्रपत्रों में संबंधित अपर उपायुक्त –एवं –मुख्य परियोजना अधिकारी के माध्यम से भेजने के लिए जिला तथा राज्य स्तर पर नोडल अधिकारी पदाभिहित करेंगे ।

(v) उपरोक्त संगठन /उपयोगकर्ता प्रवर्ग अधिसूचना के जारी होने के एक वर्ष के भीतर अपने मूल्य पर उपरोक्त वर्णित आज्ञापक प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित करेंगे जिसमें असफल होने पर ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 (2001 का केन्दीय अधिनियम 52) के अधीन दाण्डिक कार्यवाही की जायेगी।

(vi) स्थापित संयंत्र नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार / अक्षय ऊर्जा विभाग, हरियाणा/हरियाणा अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (हरेडा) द्वारा विहित तकनीकी विनिदेशा को सख्ती से अनुपालना करेंगे ।

(vii) निजी सेक्टर के उपयोगकर्ता प्रवर्ग या तो नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के पैनल पार्टनर्स या अक्षय ऊर्जा विभाग, हरियाणा/हरियाणा अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण के माध्यम से सौर फोटोवोलटाइक ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर सकते हैं । जबकि सरकारी विभाग/ संगठनों के लिए अक्षय ऊर्जा विभाग, हरियाणा को राज्य नामित अभिकरण अनुमोदित स्त्रोत है ।

(viii) प्रकिया तथा लागू प्रकिया फीस के संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश अक्षय ऊर्जा विभाग, हरियाणा द्वारा अलग से जारी किए जाएंगे ।

एस० एन० राय,

प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,

अक्षय ऊर्जा विभाग ।